

**अत्यावश्यक**  
**नगरपालिका**  
**आम उप-निर्वाचन, 2025**



**राज्य निर्वाचन आयोग,**  
**बिहार**  
**STATE ELECTION COMMISSION,**  
**BIHAR**

पत्र संख्या- न0नि0 50-258/2022 - 2865  
प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।  
(नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, वैशाली, शिवहर,  
दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)

पटना, दिनांक - 24.6.25

**विषय : नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 - मतदान दिवस से संबंधित विभिन्न  
IT Application का उपयोग करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के अवसर पर मतदान दिवस पर उपयोग किये जाने हेतु आयोग द्वारा विभिन्न IT Application तैयार किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं :-

- PCCP Android App
- Presiding Officer Android App
- Sector Magistrate Android App
- Facial Recognition System (FRS)

उल्लेखनीय है कि क्रमांक (a)-(c) से संबंधित IT Application का प्रशिक्षण आयोग द्वारा जिला स्तर पर तकनीकी कर्मी को दिनांक 25.06.2025 को दिया जाना है। इन्हीं तकनीकी कर्मी द्वारा दिनांक 26.06.2025 को मतदान दल को सभी एप के संबंध में प्रशिक्षण दिया जायेगा। संबंधित IT Application का मैन्यूअल पत्र के साथ संलग्न है तथा आयोग के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। Facial Recognition System (FRS) संबंधी प्रशिक्षण चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 25.06.2025 को मतदान केन्द्र से संबंधित सभी तकनीकी कर्मी (P3B) को दी जायेगी।

उपरोक्त IT Application के संबंध में संबंधित द्वारा किये जाने वाले निम्नवत् हैं :-

- PCCP Android App - इस एप्प का उपयोग पी.सी.सी.पी. द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत् है :-  
(क) पी.सी.सी.पी. द्वारा योगदान के बाद अपने मोबाईल पर PCCP APP को डाऊनलोड करेंगे।  
(ख) सर्वप्रथम एप्प में आवश्यक सूचना अंकित करेंगे।  
(ग) मतदान केन्द्र पर उपलब्ध कराने हेतु ई.वी.एम. प्राप्त करने पर ई.वी.एम. संबंधी सूचना अंकित की जायेगी।

(घ) मतदान तिथि को ई.वी.एम. मतदान केन्द्र पर पीठासीन पदाधिकारी को उपलब्ध कराने संबंधी सूचना तथा मतदान उपरान्त पोल्ड ई.वी.एम. की प्राप्ति सूचना अंकित की जायेगी।

(ङ) पोल्ड ई.वी.एम. को बज्रगृह में प्राप्ति स्वीकार होने के उपरान्त सूचना एप्प में प्रविष्ट की जायेगी।

(b) Presiding Officer Android App - इस एप्प का उपयोग पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत् है :-

(क) पीठासीन पदाधिकारी द्वारा योगदान के बाद अपने मोबाईल में Presiding Officer App डाऊनलोड कर संबंधित मतदान केन्द्र की सूचना प्रविष्ट की जायेगी। तकनीकी सहायता मतदान दल में सम्मिलित P3B से प्राप्त की जा सकती है।

(ख) P3B द्वारा FRS कार्य हेतु मेबाईल में डाऊनलोड किये गये मतदाता सूची का प्राप्त हुये मतदाता सूची की हार्ड कॉपी से मिलान कर आश्वस्त हो लेंगे।

(ग) मतदान तिथि को मतदान आरम्भ होने, प्रति दो घंटे पर VTR, मतदान समाप्ति के साथ-साथ मतदान के दौरान किसी अप्रिय घटना आदि की सूचना एप्प में अंकित की जायेगी।

(घ) P3B द्वारा मतदाताओं के सत्यापन हेतु किये जा रहे FRS संबंधित कार्य को सुचारु रूप से करने हेतु पीठासीन पदाधिकारी द्वारा प्रेरित किया जायेगा।

(c) Sector Magistrate Android App - इस एप्प का उपयोग सेक्टर मैजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जो निम्नवत् है :-

(क) सेक्टर मैजिस्ट्रेट द्वारा योगदान के बाद अपने मोबाईल में Sector Magistrate App डाऊनलोड कर सभी आवश्यक सूचना प्रविष्ट की जायेगी।

(ख) सेक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक दो घंटे पर VTR अंकित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

(ग) संबंधित मतदान क्षेत्र में किसी भी अप्रिय घटना आदि के संबंध में स्थिति से एप्प के माध्यम से अलर्ट करेंगे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि मतदान के दिन सभी IT Application का उपयोग करने हेतु सम्बंधित कर्मी को निदेशित की जाय एवं उपयोग कराना सुनिश्चित की जाय। साथ ही जिला पदाधिकारी स्तर एवं निर्वाची पदाधिकारी स्तर से मतदान दिवस को किये जा रहे कार्य का अनुश्रवण किया जाये।

विदित हो कि उक्त एप्प के माध्यम से किये जा रहे कार्य का आयोग द्वारा सघन/सतत् अनुश्रवण किया जायेगा।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक यथोक्त।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज़ापांक - न0नि0 50-258/2022 - 2865

पटना, दिनांक - 24.6.25

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक - न0नि0 50-258/2022 - 2865

पटना, दिनांक - 24 '6' 25

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।  
24/6

ज्ञापांक - न0नि0 50-258/2022 - 2865

पटना, दिनांक - 24 '6' 25

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।  
24/6

